30.1.14

मजकूर पत्रावळी हाजीर करून उभय पक्ष झाले
मुळ कब्जा लोक अदालत की मार्फत के दिनांक
होने स्वाभिक भरा चुके है। इसलिए मामला
खारीज चलने योग्य नही होने से खारिज
किया जाता है। प्रतिवादी कैसल मुक्त होकर
के काम है।

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ

Rnt